न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्याः— 60 / 2021 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2021 / 49), पीठासीन अधिकारीः— श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. किरन पत्नी हरमुख
2. जल सिंह पुत्र हरमुख
3. सुरेन्द्र पुत्र हरमुख
4. मोहन सिंह पुत्र हरमुख
5. विष्णु पुत्र हरमुख

} जातियान जाटव नि0 ग्राम गारौली तहसील जनूथर

—वादीगण

बनाम

1. सोहनलाल पुत्र प्रानसुखी उर्फ प्रान्तसुखी जाति जाटव नि0 ग्राम गारौली तहसील जनूथर
2. ओमवती पत्नी नन्दराम जाति जाटव नि0 ग्राम कैलूरी तहसील नदवई
3. सुखदेई पत्नी सुम्मेरा जाति जाटव नि0 ग्राम श्यौराना तहसील व जिला भरतपुर
4. अंगूरी पत्नी सोहनलाल
5. पूरन पुत्र प्रान्तसुखी उर्फ प्रानसुखी
6. ओमप्रकाश पुत्र हरचन्दी

} जाति जाटव नि0 गारौली तहसील जनूथर

7. भगवानदेई पुत्री हरचन्दी पत्नी लाखन सिंह
8. प्रकाशी पुत्री हरचन्दी पत्नी थान सिंह
9. लाखन सिंह पुत्र निनुआराम

} जाति जाटव नि0 गारौली तहसील जनूथर

10. रमीला पुत्री हरमुख पत्नी पिन्टू
11. मंजू पुत्री हरमुख पत्नी जगवीर

} जाति जाटव हाल नि0 ग्राम सुर्री का नगला तहसील कठूमर

12. गीता पुत्री हरमुख पत्नी जगदीश
13. जलदेई पुत्री हरमुख पत्नी सुरेश

} जाति जाटव नि0 ग्राम नगला मई तहसील नदवई

14. सुरेन्द्री पुत्री हरमुख पत्नी सुबह सिंह
15. ववीता पुत्री हरमुख पत्नी लाखन सिंह

} जाति जाटव नि0 ग्राम करावली तहसील वैर

16. तहसीलदार तहसील डीग
17. पंजाब नैशनल बैंक शाखा जनूथर जरिये शाखा प्रबंधक

—असल प्रति0

दावा अन्तर्गत धारा 53व 188 आर.टी.एक्ट,

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक: 08.03.2025

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 1121/0.44, नवीन खाता संख्या 4 एवं आराजी खसरा नम्बरान 1107/0.13, 1108/0.12, 1109/0.22, 1110/0.35, 1111/0.36, 1112/0.17, 1113/0.19, 1114/0.01, 1119/0.32,नवीन खाता संख्या 352 एवं आराजी खसरा नम्बरान 1123/0.48 नवीन खाता संख्या 861 एवं आराजी खसरा नम्बर 1124/0.31 नवीन खाता संख्या 862 एवं आराजी खसरा नम्बरान 1117/0.21, 1118/0.28, 1120/0.26 नवीन खाता संख्या 1040 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है। मुताविक जमाबन्दी वादी एवं प्रति0 संख्या 1 लगायत 15 के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात है उक्त आराजीयात पर आज हरमुख पुत्र परभाती जाति जाटव नि0 ग्राम गारौली तहसील डीग के नाम का सहकाश्तकार के रूप में अंकन हो रहा है जबकि उक्त हरमुख की मृत्यु हो चुकी है और वादीगण व प्रति0 संख्या 10 लगायत 15 उक्त हरमुख के विधिक वारिसान है जो उक्त हरमुख की मृत्यु उपरांत उनकी हिस्सा आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त है इसी प्रकार आराजी मुत0 आराजी खसरा नम्बर 1121/0.44 नवीन खाता संख्या 4 व आराजी खसरा नम्बर 1123/0.48 नवीन खाता संख्या 861 पर हरचन्दी पुत्र प्रानसुखी के नाम का भी सहकाश्तकार के रूप में अंकन हो रहा है जबकि उक्त हरचन्दी पुत्र प्रानसुखी की भी मृत्यु हो चुकी है और प्रति0 संख्या 6 लगायत 8 उक्त मृतक हरचन्दी के विधिक वारिसान है जो हरचन्दी की मृत्यु उपरांत उसकी हिस्सा आराजी पर वतौर वारिस वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त है। आराजी खसरा नम्बर 1121/0.44 नवीन खाता संख्या 4 में वादीगण व तरतीवी प्रति0 संख्या 10 लगाायत 15 का हिस्सा वाहिस्सा बरावर हि0 1/3 तथा प्रति0 संख्या 1 का हि0 2/9 तथा प्रति0 संख्या 4 का हि0 2/9 तथा प्रति0 संख्या 6 लगायत 8 का वाहिस्सा बरावर हि0 2/9 प्रति0 संख्या 6 लगायत 8 प्रत्येक का हि0 2/27–2/27 है एवं इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बरान 1107/0.13, 1108/0.12, 1109/0.22, 1110/0.35, 1111/0.36, 1112/0.17, 1113/0.19, 1114/0.01, 1119/0.32 नवीन खाता संख्या 352 में वादीगण व तरतीवी प्रति0 संख्या 10 लगायत 15 का हि0 वाहि0 बरावर हि0 1/3 तथा प्रति0 संख्या 1 व 5 प्रत्येक का वाहि0 बरावर 1/3 तथा प्रति0 संख्या 1 व 5 प्रत्येक का हि0 2/27–2/27 है तथा इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 1123/0.48 नवीन खाता संख्या 861 में वादीगण व तरतीवी प्रति0 संख्या 10 लगायत 15 का हि0 वाहि0 बरावर 1/3 तथा प्रति0 संख्या 3 हि0 2/9 तथा प्रति0 संख्या 4 का हि0 7/18 तथा प्रति0 संख्या 6 लगायत 8 का वाहि0 बरावर हि0 1/18 यानि प्रति0 संख्या 6 लगायत 8 प्रत्येक का हि0 1/54–1/54 है एवं इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बर 1124/0.31 नवीन खाता संख्या 862 में वादीगण व तरतीवी प्रति0 संख्या 10 लगायत 15 का हि0 वाहि0 बरावर हि0 1/3 तथा प्रति0 संख्या 2 का हि0 16/31 तथा प्रति0 संख्या 3 का हि0 14/93 है एवं इसी प्रकार आराजी खसरा नम्बरान 1117/0.21, 1118/0.28, 1120/0.26 नवीन खाता संख्या 1040 में वादीगण व

खण्ड अधिकारी
(डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

तरतीवी प्रति0 संख्या 10 लगायत 15 का हि0 वाहि0 बरावर हि0 1/3 तथा प्रति0 संख्या 1 का हि0 2/9 तथा प्रति0 संख्या 5 व 9 प्रत्येक का हि0 2/9— 2/9 है और इसी हि0 अनुसार उक्त आराजी मुत0 पर वादीगण एवं प्रति0 संख्या 1 लगायत 15 का मौके पर कब्जा काश्त है व उपयोग व उपभोग में आ रही है। अब वादीगण,तरतीवी प्रति0 एवं असल प्रति0 संख्या 1 लगायत 9 के मध्य आपस में संयुक्त काश्त में नहीं बन पा रही है। अतः निवेदन है कि आ.ख.नम्बर 1121/0.44, नवीन खाता संख्या 4 एवं आराजी खसरा नम्बरान 1107/0.13, 1108/0.12, 1109/0.22, 1110/0.35, 1111/0.36, 1112/0.17, 1113/0.19, 1114/0.01, 1119/0.32,नवीन खाता संख्या 352 एवं आराजी खसरा नम्बरान 1123/0.48 नवीन खाता संख्या 861 एवं आराजी खसरा नम्बर 1124/0.31 नवीन खाता संख्या 862 एवं आराजी खसरा नम्बरान 1117/0.21, 1118/0.28, 1120/0.26 नवीन खाता संख्या 1040 वाके ग्राम जनूथर तहसील जनूथर में स्थित है का वादी,तरतीवी प्रति0 एवं असल प्रति0 संख्या 1 लगायत 9 के मध्य विभाजन किया जाकर आराजी मुत0 से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी आराजी के मुताविक हिस्सा जमाबन्दी व समान कुरे बनाये जाकर वादी व तरतीवी प्रति0 संख्या 10 लगायत 15 के हि0 व बट में आई आराजी का पृथक से खाता कायम किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रति0 के हिस्से व बट में आई आराजी पर वादीगण व तरतीवी प्रति0 को पृथक से दखल व कब्जा दिलाया जावे। साथ ही असल प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद फरमाया जावे कि वे वर्णित आराजी पर रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दावे पर उभय पक्षकारान का राजीनामा पेश हुआ है। साथ ही तहसीलदार डीग के पत्रांकःएल.आर./2024/391 दिनांक 11.06.2024से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए है। विभाजन प्रस्ताव तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 02.07.2021 का अवलोकन किया गया। राजीनामा दिनांक 02.07.2021 व विभाजन प्रस्ताव के आधार पर हम दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

—अतः आदेश है किः—

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य/मुताविक राजीनामा उभय पक्ष दिनांक 02.07.2021 से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। राजीनामा उभय पक्ष दिनांक 02.07.2021 तथा तहसीलदार जनूथर से दिनांक 11.06.2024 को प्राप्त विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का जुज/भाग रहेंगे। वर्णित आराजी में रहन के इन्द्राजात यथावत रहेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 08.03.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प डीग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner